

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

प्रतीद उत्तम बालूमाथ उत्तम

तक

आदेश पत्रक - ता०

बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 38 / 2023

आदेश का प्रकार-

भूमि विवाद

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्र०सं० और तारीख

1

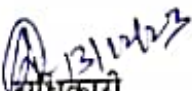
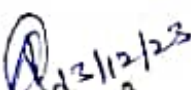
2

3

19-07-2023

आवेदक प्रतीद उत्तम पिता कावेरी
उत्तम, माता- जीविवादी माता - लातेहार के
द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन पत्र में
मीमा- पक्षी के खाना सं० 95 ब्लॉक सं०
148, 150, 176, 177, 182, 229, 277, 278
कुल पक्षी 3 ब्लॉक 05 डिग्री में भूमि से
संबंधित है। आवेदक का कहना है कि मेरी
दादी पक्षी 3 ब्लॉक में पति द्वारा उत्तम के
नाम से बेकला डाला गया है। हाल में
खनिज के बाजार से 100000 रुपये
निर्गत है। इस भूमि में वाजकरा राजसहाय
उत्तम के पितासह उत्तम माता- पक्षी 3

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश नं० और तारीख
1	2	3
	कहना कर लिया गया है। हमलोगों को जिन चीजों में बाधा उत्पन्न किए गए हैं। तथा हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। हमथ पक्ष को नैतिक निर्मित करें। हमथ पक्ष आपने-आपने हित के समीप में राजस्व कागजातों के साथ वाद की आलीशिषी की उपस्थित रहें। अनिलेश दिनांक 25/7/23 को उपस्थापित करें। अंजल अग्रवाल आ.सं.ग.प. 25-07-2023 अनिलेश उपस्थापित। हमथ पक्ष उपस्थित। पदाधिकारी के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अनिलेश दिनांक 14-08-2023 को उपस्थापित करें। अंजल अग्रवाल आ.सं.ग.प.	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13-12-2023	<u>आदेश</u> राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमोद उरांव बनाम रामसहाय उरांव के मामले में प्रथम पक्ष के पास वर्ष 1958 ई० का केवाला है। रिविजनल सर्वे पक्ष में है। लगान रसीद पक्ष में है। इसके विपरीत द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र कहा गया कि प्रथम पक्ष के पास जो कागजात है वह जाली है। केवाला और खतियान को जाली घोषित करना सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के कागजात के विरुद्ध कहीं भी मामला दायर नहीं किया गया है। अतः सक्षम कोर्ट से जब तक कि ठोस आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक संबंधित भूमि प्रथम पक्ष की भूमि जाना जा सकता है। इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील याद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी, बालूमाथ।  अंचल अधिकारी, बालूमाथ।	